न्यायालय तहसीलदार परबतसर (नागौर) राजस्थान

प्रार्थी राज.सरकार जरिये पटवारी हल्का परबतसर

बनाम

अप्रार्थी :– श्री मूलाराम पुत्र मालाराम जाति गुर्जर निवासी डेलां की ढाणी परबतसर

अन्तर्गत धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण संख्या 5/18

निर्णय दिनांक 26/03/18

पत्रावली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का परबतसर ने अप्रार्थी के विरूद्व टी.पी.रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि अप्रार्थी द्वारा सवत् 2074 में सरहद परबतसर के खसरा नम्बर 2878 किस्म बारानी 4 में रकबा 0.2475 है. भूमि में बाड़ लगा कर अतिक्रमण किया है। जिस पर वाद धारा 91 एल आर एक्ट 1956 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को वास्ते वजह सबूत नोटिस दिया गया। अप्रार्थी स्वंय से नोटिस तामिल हुआ जो शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी दिनांक 26/03/18 को अनुपस्थित रहा। अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है ।

पत्रावली का अवलोकन किया गया । प्रार्थी का मौजा परबतसर के खसरा नम्बर 2878 किस्म बारानी 4 में रकबा 0.2475 है. भूमि पर अतिक्रमण किया है।

प्रस्तुत पटवारी रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी का मुमताजा भूमि पर अतिक्रमण पाया गया है अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है।

अत : अप्रार्थी द्वारा उक्त अतिक्रमित भूमि पर किये गये अतिक्रमण को मौके से बेदखल करने का आदेश पारित किया जाता है। लगान दर 02 रूपये प्रति हैक्टेयर की दर से अतिक्रमित रकबा 0.2475 है भूमि के 0.39 रूपये लगान का 50 गुणा 25/– अक्षरे पच्चीस रूपए बतौर जुर्माना कायम किया जाता है। जुर्माना की राशि तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी हल्का को मांग कायमी कर वसूली हेतु लिखा जावे। पटवारी हल्का को आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थी को मौके से भोतिक रूप से बेदखल कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । बाद तकमील पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल द तर हो।

तहसीलदार परबतसर